

Order Sheet [Contd]

Case No28/17 B.A Cr.P.C....

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
21-1-17	<p>आवेदक/आरोपी जहारसिंह द्वारा श्री के०पी०राठोर अधिवक्ता । शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक ।</p> <p>पुलिस थाना गोहद की ओर से अप०क्र० 375/16 धारा 304बी,34 भा०द०सं० एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम की केश डायरी मय प्रतिवेदन पेश की ।</p> <p>आवेदक/आरोपी की ओर से पेश आवेदन अन्तर्गत धारा 438 जा०फो० में बताया गया है कि यह उनका प्रथम अग्रिम जमानत आवेदनपत्र है इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदनपत्र न ही निरस्त हुआ है तथा न ही किसी अन्य न्यायालय में लम्बित होना बताया गया है ।</p> <p>आवेदक/आरोपी की ओर से पेश आवेदन में निवेदन किया गया है कि उनका मृतक शशि से कोई संबंध सरोकार नहीं था । आवेदक का परिवार मृतिका की शादी के पूर्व से ही अलग निवास करता है । उससे किसी प्रकार की कोई दहेज की मांग कर प्रताडित नहीं किया गया है । आकस्मिक दुर्घटना से मृतिका की मृत्यु हुयी है । आवेदक अनुसंधान के दौरान पूर्ण सहयोग करने के लिये तत्पर है । ऐसी दशा में अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया गया है</p> <p>अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया गया ।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया । दिनांक 11-11-16 को मृतिका शशि कुशवाह की मृत्यु की सूचना पुलिस थाना गोहद में दी गयी । मृतिका का शव परीक्षण कराया गया जो कि जलने से उसकी मृत्यु हो जाना चिकित्सक के द्वारा व्यक्त किया गया जिसकी मर्ग की जांच की गयी । मर्ग जांच के दौरान यह तथ्य आया कि मृतिका शशि का विवाह महावीर कुशवाह निवासी अन्याइच तहसील गोहद के साथ 4 फरवरी 2016 को हुआ था । शादी के उपरांत उसके पति व ससुराल वाले जिनमें कि वर्तमान आवेदक जो कि महावीर का भाई है के द्वारा दहेज की मांग को लेकर उसे परेशान व प्रताडित किया जाता था और इसी दौरान सामान्य परिस्थितियों के अन्वया जलने से मृतिका की मृत्यु हुयी । आवेदक के द्वारा यह बताया जा रहा है कि उसका परिवार अलग है और इस संबंध में परिवार पत्र की फोटो कोपी पेश की है किन्तु मात्र उक्त दस्तावेज के आधार पर जबकि आरोपी उसका सगा भाई है और उस पर स्पष्ट रूप से मृतिका को</p>	

उसकी मृत्यु के पूर्व दहेज की मांग को लेकर परेशान व प्रताड़ित किये जाने का आक्षेप है ।

अतः अपराध के तथ्यों, परिस्थितियों एवं घटना की प्रकृति को देखते हुये आवेदक की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 438 जा0फो0 स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है ।

आदेश की प्रति सहित केश डायरी वापिस की जाये ।

परिणाम दर्ज कर दाखिल रिकार्ड हो ।

ए0एस0जे0गोहद

